न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–09/2017

पंजियन दि. 29.11.2017
निर्णय दि. 28.03.2018

1. श्री मावा पिता विरजी घोघरा मीणा
2. श्री बदा पिता मावा घोघरा मीणा
3. श्री नारायण पिता विरजी घोघरा मीणा
4. श्री कांतीलाल पिता सवजी घोघरा मीणा
5. श्री चेतनलाल पिता सवजी घोघरा मीणा

बनाम

1. श्री कांती पिता सोमा डामोर मीणा
2. श्री लाला पिता सोमा डामोर मीणा
3. श्री गोमा पिता भेरा डामोर मीणा

समस्त निवासीयान पालदेवल फला डामोर तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

5. सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री हितेन्द्र पटेल एवं नवीन चौबीसा, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक, विपक्षी सं. 1 से 3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत्, ग्राम लोडवाडा में जरिये मीसल नम्बर 3261/77 से आराजी संख्या 1364 में से विपक्षी संख्या 1 व 2 के पूर्वज को आवंटित भूमि रकबा 1 बीघा को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस इस प्रकार है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार मौजा कण्डूला फला घोघरा तहसील एवं जिला डूंगरपुर के निवासी है। प्रार्थीगण का मौजा पाल देवल के खसरा नम्बर 316 कुल रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बीघा जमीन पर लम्बे समय से पीढी दर पीढी संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विपक्षीगण सं. 1 से 3 की आवंटित भूमि 316/552

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

व अन्य रकबा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का मकान भी बना हुआ है तथा उक्त जमीन पर पानी हेतु पानी का बोर भी किया हुआ है। मौके पर सभी प्रार्थीगण संयुक्त रूप से जमीन का समतलीकरण करवाया जाकर खेती का कार्य कर रहे है। खसरा नम्बर 316 बिलानाम पर प्रार्थीगण काबिज होकर खेती का कार्य कर रहे है। विपक्षी सं. 1 व 2 के पिता को दिनांक 24.10.1977 को जरिये मीसल नम्बर 3232/77 के 5–00 बीघा जमीन का आवंटन किया गया है, जिसके खातेदारी अधिकार दिये है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 552/316 है तथा विपक्षी सं. 3 को जरिये मीसल नम्बर 3231/77 के 5–00 बीघा का खसरा नं. 316 में आवंटन किया है, लेकिन विपक्षी सं. 3 को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये गये है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है तथा विपक्षीगण को आवंटन अवधि 40 वर्ष बाद भी विपक्षीगण का कब्जा नही रहा है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक नियुक्त हुए एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया। प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई विपक्षी सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित/प्रार्थीगण के अभिभाषक की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ मुताबिक दस्तावेज रेकार्ड एवं मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गये है।

उभय पक्षकारगणों की बहस के दौरान दिनांक 22.03.2018 को प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2017 के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या–5 पृष्ठ सं. 3 के अंतिम पेरा में गलत अंकित आवंटन दिनांक 24.10.2017 के बजाये सही दिनांक 24.10.1977 कराने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विपक्षीगण के अभिभाषक की आपत्ति नही होने से स्वीकार कर संशोधन किया गया। बहस के दौरान ही प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने आवंटित/विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब कराने हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका विपक्षी सं. 1 से 3 के अभिभाषक ने ठोस विरोध किया। प्रकरण में अब बहस के दौरान मौका रिपोर्ट तलब कर साक्ष्य तलब करना न्यायसंगत नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस समायत की गई। प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित योग्य अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को आवंटित भूमि मीसल संया 3231/77 एवं 3232/77 मौजा कण्डूला के खसरा संख्या 552/316 एवं 552 पर प्रार्थीगण का पुराना काश्त कब्जा है। प्रार्थीगण के मकान है तथा बोर खोदा है। विपक्षीगण द्वारा आवंटित भूमि के आवंटन की शर्तो की पालना नही की है। प्रार्थीगण का कब्जा

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

संलग्न फोटोग्राफ्स से प्रमाणित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को आवंटित भूमि निरस्त की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के योग्य अभिभाषक का कथन है कि विपक्षीगण आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है। पानी का बोरवेल विपक्षीगण ने आराजी से सिंचाई हेतु खुदवाया था। किन्तु बोर में पानी नही आने से सुखा पड़ा हुआ है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है। विपक्षीगण ने भूमि को उपजाऊ बनाया है तथा मेडबंदी करवाई है आराजी के चारों तरफ थुअर की बाड विपक्षीगण के पिता सोमा द्वारा लगाई गई है को करीब 15–20 वर्ष पुरानी है। आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। विपक्षीगण को भूमि आवंटन हुए 40 वर्षो से अधिक का समय हो चुका है तथा आवंटी–विपक्षीगण अभी मौके पर काबिज काश्त है, जिससे 40–41 वर्षो के बाद खातेदारी अधिकारी प्राप्त भूमि के आवंटन को निरस्त कराना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। विपक्षीगण के योग्य अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRT 2002 (1) Sadhuram & ors. V/s State & ors., 2009 (1) RRT Laluram V/s Hanuta Ram & ors. तथा 2009 (1) RRT 238 Hemraj V/s state of Rajasthan प्रस्तुत किये गये।

पेरोकार सरकार ने बहस में औपचारिक रूपेण भाग लेकर किये गये आवंटन को नियमानुसार होना जाहीर किया। आवंटन आवेदन पत्र एवं निर्णय भूमि आवंटन सलाहकार समिति का प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नही करना भी जाहीर किया।

उभय पक्षो की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का ससम्मान पठन किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं छाया प्रतियों से विपक्षीगण को जरिये मीसल नम्बर 3231/77 एवं 3232/77 दिनांक 24.10.1977 के ग्राम कण्डूला के खसरा नं. 316 में से क्रमशः 5–00 बीघा एवं 5–00 बीघा भूमि का आवंटन होना प्रमाणित है। मीसल संख्या 3232/77 से आवंटित भूमि की नवीन आराजी सं. 552/316 श्री सोमा पिता उदा के नाम खातेदारी में दर्ज है। अन्य आराजी की जमाबंदी अथवा नामान्तरण की नकल प्रस्तुत नही होकर मीसल संख्या 3231/77 से आवंटित भूमि रकबा 5–00 बीघा का गोमा पिता भेरा भील के नाम से आवंटन की आज्ञा की छाया प्रति संलग्न है। विपक्षीगण के कथनानुसार आवंटित भूमि पर आवंटि–विपक्षीगण सं. 1 से 3 काबिज काश्त है तथा उन्हें खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है।

RRT 2002 (1) Sadhuram & ors. V/s State & ors. में पैरा 7 में अंकित है कि – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for

Agricultural Purpose) Rules, 1970- If the land is in the possession of tresspasser, a district action is to be taken and they are to be evicted and the land is to be allotted to the landless persons, so that real prupose and object underline in the Rules, 1970 is fulfiled.

2009 (1) RRT 220 के पैरा 7, 8 में अंकित है कि–Rajasthan Land Revenue (Allotment of Govt. Land for Agricultural Pursposes) Rules 1970- Rule 14(4) Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 5(27(Cancellation of allotment- Allotment cancelled only on the ground of possession of appeallant on allotted land-Land allotted on 4.1.1976 on recommendation of Advisory Committee-Tehsildar was also the member of Advisory committee & recommendation for regulation is not significant- Possesion of appellant was as a tresspasser & it could not be said an occupied land u/sec. 5(27) Appellant not filed any application for regulatrisation or allotment - Held, Cancellation of alotment after 32 years is not justified in absence of allegation of fraud of misrepresentation. आवंटन के 40–41 वर्षो पश्चात् तकनिकी आधार पर आवंटन को खारीज करना Travesty of Justice होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक निर्णयों की नजीरो के अवलोकन से मौजा कण्डूला के खसरा संख्या 316 में से जरिये मीसल संख्या 3231/77 एवं 3232/77 दिनांक 24.10.1977 के द्वारा आवंटित रकबा क्रमशः 5–00 बीघा एवं 5–00 बीघा को निरस्त कराने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Reader
श्री हितेन्द्र पटेल एडवोकेट द्वारा पेश बाद जांच रिपोर्ट करे।
Collector-DPR

सेवामें

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय

डूँगरपुर राज.

1.मावा पिता विरजी जाति घोघरा मीणा उम्र 55 वर्ष

2. बदा पिता मावा जाति घोघरा मीणा उम्र 25 वर्ष

3. नारायण पिता विरजी जाति घोघरा मीणा उम्र 50 वर्ष

4. कांतिलाल पिता सवजी जाति घोघरा मीणा उम्र 40 वर्ष

5. चेतनलाल पिता सवजी जाति घोघरा मीणा उम्र 28 वर्ष समस्त निवासीयान कण्डूला फला घोघरा थाना सदर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज.

अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. कांति पिता सोमा जाति डामोर मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी पालदेवल फला डामोर थाना सदर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज.

2. लाला पिता सोमा जाति मीणा उम्र 28 वर्ष निवासी पालदेवल फला डामोर थाना सदर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज.

3. गोमा पिता भेरा जाति मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी पालदेवल फला डामोर थाना सदर जिला डूँगरपुर राज.

4. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय डूँगरपुर राज.

विपक्षीगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन अधि.1970 बाबत् निरस्त किये जाने आवंटन</u>

महोदयजी

प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन इस प्रकार है कि—

1. यह कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण मौजा कण्डूला फला घोघरा तहसील एवं जिला डूँगरपुर के निवासी है तथा अपीलार्थीगण का मौजा पाल देवल की खसरा नम्बर 316 कुल रकबा 56 बीघा 10 बीस्वा मे से 10 बीघा जमीन पर विगत लम्बे समय से अर्थात पीढी दर पीढी सयुंक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है।

2. यह कि उक्त खसरा नम्बर 316/552 व अन्य रकबा के 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण संख्या 2 व 3 का मकान भी बना हुआ है तथा उक्त जमीन पर पानी हेतु पानी का बोर भी किया हुआ है तथा उक्त जमीन पर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा सयुंक्त रूप से हिस्सा कारित किये जाने पर मौके पर जमीन का समतलीकरण करवाया जाकर मौके पर सभी

मावा चेतन